

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरो ईलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, केमक स्ट्रीट, कोलकाता, कोदलीबाद लौह अयस्क खनन पट्टा मनोहरपुर प्रखण्ड के लिए प्रस्तावित कुल 55.790 हेक्टेयर वनभूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्रामसभा को व्यव्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3-(1) (म) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।



[Handwritten signature]
उपायुक्त
पंचायती राज सिंहभूम बासा
संसदीय समिक्षा,
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,
वन अधिकार अधिनियम, 2006

उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

संख्या :- ४५५ (त्रै)

दिनांक :- ०९.०७.२०१५

प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील, कॉस्टींग लिमिटेड, केमक स्ट्रीट, कोलकाता को कोदलीबाद, प्रखण्ड-मनोहरपुर के लिए प्रस्तावित कुल 153.55 हेक्टेयर वनभूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्रामसभा को व्यख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3-(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
—सह-अध्यक्ष,
ज़िला स्तरीय वनाधिकार समिति,
वन अधिकार अधिनियम, 2006